न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –07 / 2025

अनवान

1. सूरज बाई पुत्री माधोसिंह राजपूत निवासी दीपपुरा हाल निवासी पत्नि उंकार सिंह राजपूत निवासी भैसनी, मिश्रोली, जिला झालावाड रावतभाटा।
2. श्रीमति रूप कंवर पुत्री मोतीसिंह राजपूत निवासी दीपपुरा हाल निवासी पत्नि श्री राजसिंह राजपूत निवासी बाडौली तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा

प्रतिवादी / विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित – श्री प्रदीप कुमार बिल्लू प्रार्थीगण।
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 07.05.2026

प्रार्थीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार हैः–

माधोसिंह(मृत)

मोती सिंह(मृत) — सूरज बाई उर्फ रूपा बाई

अ. गुलाब बाई, पत्नि
ब. जोरावार सिंह, पुत्र
स. फूलकंवर, पुत्री
द. भैरूसिंह, पुत्र
य. मोहन बाई, पुत्री
र. राजूबाई, पुत्री
ल. रूप कंवर उर्फ हंसा कंवर, पुत्री

प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि माधोसिंह जी के ग्राम मालपुरा पटवार हल्का झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 4 की खसरा संख्या 74, 75, 76 कुल किता 03 रकबा 1.6100 हैक्टर जमीन स्थित है। मोतीसिंह व माधोसिंह का निधन हो चुका है। माधोसिंह के विरासत का इन्तकाल उनके पुत्र मोतीसिंह व मुझ प्रार्थी संख्या 01 सूरज बाई के नाम खुला। मुझ सूरज बाई के घर का नाम रूपा बाई है, इसलिए नामांतरण में मेरा नाम सूरज बाई के स्थान पर रूपा बाई लिख दिया गया। मेरे अन्य सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड में मेरा नाम सूरज बाई ही लिखा हुआ है। मुझ सूरज बाई का विवाह उंकार सिंह निवासी भैसानी, मिश्रोली जिला झालावाड के साथ हुआ है। मैं अभी वही निवास कर रही हूं। लेकिन मेरे पिता के खाते की जमीन ग्राम मालपूरा में है। जिसमें मेरा नाम रूपा बाई लिखा है जिसे सूरज बाई किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मोती सिंह का भी निधन हो चुका है तथा मै प्रार्थी संख्या 02 रूपकवंर पुत्री हूं। मेरी मां गुलाब बाई जीवित है। मोती के निधन के बाद उनके विरासत का इंतकाल उनकी पत्नी गुलाब बाई व अन्य पुत्र पुत्रियों के नाम खुला। लेकिन मुझ रूपकंवर के घर का नाम हंसा होने से नामान्तरण हंसा कंवर के नाम खुल गया, जबकि अन्य सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड मे मेरा नाम रूपकंवर लिखा है। मेरा विवाह राजसिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह राजपूत निवासी बाडौलिया के साथ हुआ है। मै भी वहीं निवास कर रही हूं। जिसमें मेरा नाम हंसा कंवर लिखा है जिसे रूप कंवर किए जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अंत में प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा ग्राम मालपुरा प0ह0 झरझनी तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 4 मे मुझ प्रार्थीया रूपा बाई के नाम के स्थान पर सूरज बाई तथा हंसा कंवर के स्थान पर रूप कंवर किए जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 23.09.2025 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम मालपुरा के खाता संख्या 4 के आराजी संख्या 74, 75, 76 कुल किता 03 रकबा 1.61है0 मे रूपा बाई पुत्री माधोसिंह 1/6 व हंसाकंवर पुत्री मोतीसिंह 1/42 जाति राजपूत सा.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दीपपुरा दर्ज रिकार्ड है। विरासत के खाते में मोतीसिंह रूपाबाई पिता माधुसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. दीपपुरा दर्ज हुआ। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मे सूरजबाई पत्नि ओंकार सिंह निवासी मिश्रोली, झालावाड दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 66 दिनांक 02.07.2015 विरासत से मोतीसिंह के बजाय भेरूसिंह, जोरावर सिंह, मोहनबाई, राजू बाई, फूलकंवर, हंसाकंवर पिता मोतीसिंह गुलाबबाई पत्नि मोतीसिंह जाति राजपूत सा. दीपपुरा दर्ज हुआ एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार रूपकंवर पत्नि राजसिंह जाति राजपूत निवासी बाडोलिया दर्ज है। संलग्न मौका पर्चा अनुसार सुरजबाई के घर का नाम रूपा बाई एवं रूपकंवर के घर का नाम हंसाकंवर होना जाहिर आया। बिन्दु संख्या 5, 6, 7 न्यायालय से संबंधित होने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवार के नाम सहखातेदारी हक से ग्राम मालपुरा पटवार हल्का झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 4 की खसरा संख्या 74, 75, 76 कुल किता 03 रकबा 1.6100 हैक्टर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के बचपन के नाम रूपा बाई व हंसा कंवर दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण का असल नाम क्रमशः सूरज बाई व रूप कंवर होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के नाम रूपा बाई के स्थान पर सूरज बाई उर्फ रूपा बाई एवं हंसा कंवर के स्थान पर रूप कंवर उर्फ हंसा कंवर करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:–आदेशः–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालपुरा पटवार हल्का झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 कि खाता संख्या 4 की खसरा संख्या 74, 75, 76 कुल किता 03 रकबा 1.6100 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के नाम रूपा बाई के स्थान पर सूरज बाई उर्फ रूपा बाई एवं हंसा कंवर के स्थान पर रूप कंवर उर्फ हंसा कंवर दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को सुनाया गया

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official